वित्त समिति की 19वीं बैठक दिनांक 08.09.2022 का कार्यवृत्त

वित्त समिति की 19वीं बैठक दिनांक 08.09.2022 को समय प्रातः 11.00 बजे से विश्वविद्यालय सभागार कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत् रही :–

01	प्रो0 ओंकार सिंह , कुलपति, वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून	अध्यक्ष
02	श्री हरीश सिंह बिष्ट, अनुसचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
03	श्री श्रीप्रकाश तिवारी, उप–सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
04	श्री एम0 एम0 सेमवाल, अपर सचिव, उच्च शिक्षा,उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
05	श्री अरविन्द सिंह पांगती, सयुंक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
06	श्री आर0 के0 श्रीवास्तव, अपर सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
07	डॉ0 अलकनंदा अशोक, डीन कॉलेज ऑफ टैक्नोलॉजी, पंतनगर (कुलपति,गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नामित)	सदस्य
08	डॉ0 रवि कुमार, प्रोफेसर, आई0आई0टी0 रूड़की (निदेशक, आई0आई0टी0 रूड़की के नामित)	सदस्य
09	श्री बिक्रम सिंह जंतवाल, वित्त नियंत्रक, वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,देहरादून	सदस्य/सचिव
10	श्री आर0 पी0गुप्ता, कुलसचिव, वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	आमंत्रित सदस्य

सर्वप्रथम मा0 कुलपति महोदय द्वारा वित्त समिति में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात बैठक आरम्भ हुई तथा एजेण्डावार निम्नलिखित निर्णय लिये गये।

एजेण्डा बिन्दु	प्रस्ताव	वित्त समिति में प्रस्तुत प्रस्ताव का औचित्य	वित्त समिति का निर्णय (विनिश्चिय)
बिन्दु संख्या 01	वित्त समिति की 18वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन		**वित्त समिति द्वारा 18वीं वित्त समिति के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।**
बिन्दु संख्या 02	वित्त समिति की 18वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही सूचना।		**वित्त समिति द्वारा 18वीं वित्त समिति की कृत कार्यवाही पर संतोष प्रकट किया गया।**
बिन्दु संख्या 03	वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून का वित्तीय वर्ष **2021–22** हेतु वास्तविक आय–व्ययक वित्त समिति के अअनुमोदनार्थ प्रस्तुत :– **वास्तविक आय : रू0 33.26 करोड़** **वास्तविक व्ययः रू0 12.23 करोड़**	वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु अनुमानित आय रू0 24.74 करोड़ के सापेक्ष **रू0 33.26** करोड़ की वास्तविक आय तथा रू0 18.47 करोड़ के अनुमानित व्यय के सापेक्ष **रू0 12.23 करोड़** का वास्तविक व्यय हुआ है। अतः वितीय वर्ष 2021–22 का वास्तविक आय एवं व्यय वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।	**वित्त समिति द्वारा चर्चा उपरांत विगत वित्तीय वर्ष 2021–22 के वास्तविक आय–व्ययक पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया ।** **वास्तविक आय : रू0 33.26 करोड़** **वास्तविक व्यय : रू0 12.23 करोड़**
बिन्दु संख्या 04	वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून का चालू वित्तीय वर्ष **2022–23** हेतु अनुमानित आय–व्ययक अनुमोदनार्थ :–	चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु अनुमानित/विस्तृत आय–व्ययक पुस्तिका तैयार कर सलंग्न है। **आय मद** :– मुख्यतः परीक्षा	**वित्त समिति द्वारा विस्तृत चर्चा उपरांत चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 की आय मदों मे शासकीय ग्रान्ट मद में अनुमानित रू0 9.00 करोड़ की धनराशि को आय में शामिल न किये जाने हेतु निर्देशित किया**

	अनु0 आय : रू0 36.23 करोड़ अनु0 व्यय : रू0 24.78 करोड़	शुल्क एवं शासकीय ग्रांन्ट मद एवं अर्जित ब्याज से आय अनुमानित की जा रही है। शेष मदों की आय विगत वर्षो की वास्तविक आय पर आधारित है। **व्यय मद :–** मुख्य रूप से वेतन मद / कार्यालय व्यय एवं विकास मदों में व्यय प्रस्तावित है। शेष मदों मे विगत वर्षो के वास्तविक व्यय पर व्यय अनुमानित किया गया है।	गया क्योंकि यह आय विश्वविद्यालय के लिये स्वीकृति न होकर विश्वविद्यालय के माध्यम से अन्य संस्थानों को अग्रसारण हेतु प्रस्तावित है जिसमें विश्वविद्यालय इस धनराशि के वितरण हेतु केवल एक नोडल एजेन्सी मात्र है। अतः वित्त समिति द्वारा वित्त वर्ष 2022–23 हेतु निम्नानुसार संशोधित अनुमानित आय–व्यय पर अनुमोदन प्रदान किया गया। अनुमानित आय : रू0 23.40 करोड़ अनुमानित व्यय : रू0 23.13 करोड़
बिन्दु संख्या 05	विशेष आयोजनागत सहायता अन्तर्गत (एस0पी0ए0) विश्वविद्यालय के **05 संघटक तकनीकी संस्थानों (पिथौरागढ़ / गोपेश्वर / बौन उत्तरकाशी / सद्धौवाला एवं टनकपुर)** के निर्माणाधीन अनावासीय भवन निर्माण हेतु समय अवधि को दिनांक 31.03.2023 तक विस्तार हेतु प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	विश्वविद्यालय के 05 संघटक तकनीकी संस्थानों के निर्माणाधीन अनावासीय भवनो में महिला तकनीकी संस्थान, सुद्धौवाला एवं तकनीकी संस्थान गोपेश्वर के निर्माण कार्य लगभग पूर्ण है। शेष संस्थानों के निर्माण हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष बजट प्राप्त न होने एवं अन्य कारणों से परियोजनायें पूर्ण नहीं हो पायी है एवं निर्माण कार्य बाधित है। अतः उक्त संघटक संस्थानों के शेष निर्माण कार्यो को पूर्ण किये जाने एवं पूर्ण योजनायें विधिवत् हस्तगत किये जाने हेतु समय अवधि को दिनांक 31.03.2023 तक लागत वृद्धि न किये जाने की शर्त पर विस्तारित किये जाने हेतु प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत ।	प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत सभी निर्माण कार्य तय सीमा अन्तर्गतपूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया किन्तु कुलसचिव द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त योजनाओं हेतु शासन स्तर से प्राविधानित धनराशि अवमुक्त न होने व कार्यदायी संस्था को धनराशि उपलब्ध न कराये जाने के कारणवश उक्त योजनायें समय पर पूर्ण नहीं हो पा रही हैं। अतः वित्त समिति द्वारा उक्त शेष निर्माण कार्य दिनांक 31.03.2023 तक लागत वृद्धि न किये जाने की शर्त पर अनुमोदन प्रदान किया गया तथा इस विस्तारित अवधि हेतु कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 प्राप्त किये जाने एवं निर्माण कार्यो का समय–समय पर मूल्यांकन किये जाने हेतु भी निर्देशित किया गया।
बिन्दु संख्या 06	शत–प्रतिशत यू0टी0यू0 निधि से निर्मित / निर्माणाधीन 09 कार्यो **(गोपेश्वर सस्थान हेतु प्री0फैब स्ट्रक्चर / स्ट्रक्चर तक पहुँच मार्ग / यू0टी0यू0 साईनेज कार्य / पॉलिटैक्निक परिसर जीर्णोद्वार / यू0टी0यू0 चाहरदीवारी निर्माण / यू0टी0यू0 ऑडिटोरियम निर्माण /**	विश्वविद्यालय एवं संघटक संस्थानों की तत्कालीन आवश्यकता के दृष्टिगत समय–समय पर वित्त समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में यू0टी0यू0 निधि से 09 निर्माण कार्य सम्पादित करायें गये थे । इन समस्त कार्यो पर वित्त समिति की 17वीं बैठक के	वित्त समिति द्वारा चर्चा उपरांत शेष कार्यो को पूर्ण कराने एवं निर्मित योजनायें विधिवत् हस्तगत किये जाने हेतु दिनांक 31.03.2023 तक अवधि विस्तारण के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही इस क्रम में कार्यदायी संस्था से इस आशय का एक अण्डरटैकिंग लिये जाने हेतु भी निर्देशित किया गया

	लैण्ड स्कैपिंग कार्य / म0त0स0 हेतु वर्कशॉप निर्माण एवं मा0 कुलपति आवास निर्माण कार्य) की समय अवधि को दिनांक 31.03.2023 तक विस्तारित किये जाने एवं उक्त योजनाओ हेतु शेष धनराशि का भुगतान किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत ।	एजेण्डा बिन्दु संख्या 05 पर अनुमोदन प्रदान किया जा चुका हैं जिन पर कार्यपरिषद की 11वीं बैठक दिनांक 05.05.2022 से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। सभी योजनायें पूर्ण है एवं प्रयोग में है। अतः शेष सभी औपचारिकताओं की पूर्ति एवं योजनाओं की विधिवत् हस्तांतरण हेतु उक्त योजनाओं पर दिनांक 31.03.2023 तक समय अवधी विस्तारित किये जाने एवं उक्त कार्यो के सापेक्ष शेष धनराशि का भुगतान सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति में प्रस्तुत किया जा रहा है।	**कि कार्यदायी संस्थायें उक्त विस्तारित अवधि अन्तर्गत सभी योजनायें पूर्ण / हस्तगत कर देगीं।**
बिन्दु संख्या 07	विश्वविद्यालय पी0एच0डी0 पाठ्यक्रम हेतु निम्नलिखित प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत :– **सत्र 2022–23 से पी0एच0डी0 शोधार्थियों से नामांकन शुल्क के रूप में रू0 2000 लागू किया जाना प्रस्तावित है। यह धनराशि केवल एक बार देय होगी।**	विश्वविद्यालय द्वारा अन्य समस्त पाठ्यक्रमों में पंजीकृत छात्र / छात्राओं से भी नामांकन शुल्क लिया जाता है। अतः पी0एच0डी0 हेतु नये प्रवेशित शोधार्थियों से भी नामांकन शुल्क के रूप में **रू0 2000** की धनराशि प्राप्त किये जाना प्रस्तावित है।	**वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।**
	थिसिस मूल्यांकन हेतु मूल्यांकनकर्ता का मानदेय रू0 4000/– के स्थान पर रू0 5000/– किया जाना प्रस्तावित है।	देश के आई.आई.टी., एन.आई.टी. एवं प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में मौखिक परीक्षा एवं मूल्यांकन से सम्बन्धित मानदेय उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय से अधिक दिया जाता है जिस सम्बन्ध में परीक्षकों / विशेषज्ञों द्वारा समय–समय पर उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराया जाता रहा है तथा समकक्ष मानदेय दिये जाने हेतु निवेदन किया जाता है। अतः थिसिस मूल्यांकन शुल्क **रू0 5000** किये जाने का प्रस्तावित है।	**वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।**

	शोधार्थियों की मौखिक परीक्षा हेतु विषय विशेषज्ञों का मानेदय रू0 2000/– के स्थान पर रू0 3000/– किया जाना प्रस्तावित हैं	तव देश के आई.आई.टी., एन. आई.टी. एवं प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में मौखिक परीक्षा सम्बन्धित मानदेय उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय से अधिक दिया जाता है जिस सम्बन्ध में परीक्षकों/विशेषज्ञों द्वारा समय–समय पर उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराया जाता रहा है तथा समकक्ष मानदेय दिये जाने हेतु निवेदन किया जाता है। अतः मौखिक परीक्षा हेतु मानदेय **रू0 3000** किये जाने का प्रस्तावित है।	**वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।**
	आर0डी0सी शुल्क रू0 20000/– के स्थान पर रू0 30000/– प्रतिवर्ष किया जाना।	चूकिं परीक्षकों/विशेषज्ञों द्वारा समय–समय पर मानदेय बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया जाता रहा है अतः उक्त के दृष्टिगत शोधार्थियों से लिये जाने वाले वार्षिक शुल्क को रू0 30000 प्रतिवर्ष किया जाना प्रस्तावित है।	**वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत सर्वसम्मिति से अनुमोदन प्रदान किया गया।**
	शोध निबन्ध मूल्यांकन शुल्क एक बार देय रू0 20000/– के स्थान पर रू0 30000 किया जाना ।	चूकिं परीक्षकों/विशेषज्ञों द्वारा समय–समय पर मानदेय बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया जाता रहा है अतः उक्त के दृष्टिगत शोधार्थियों से लिये जाने वाले शोध निबन्ध को विश्वविद्यालय द्वारा मूल्यांकन को 02 विषय–विशेषज्ञों को मूल्यांकन हेतु डाक से प्रेषित किया जाता है जिसमें डाक व्यय/02 मूल्यांकनकर्ताओं को मानदेय भुगतान किया जाता है। अतः शोध निबन्ध मूल्यांकन शुल्क को **रू0 30000/–** (एक बार देय) किया जाना प्रस्तावित है।	**वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत सर्वसम्मिति से अनुमोदन प्रदान किया गया।**

	विशेषज्ञों को विशेष परिस्थितियों में टैक्सी से यात्रा करने पर टैक्सी किराए के भुगतान का प्रस्ताव ।	वर्तमान में जो विशेषज्ञ बाहर से स्वयं के वाहन से आते हैं उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा वाहन किराया रू 6.75 प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान किया जाता है । विशेष परिस्थितियों में उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित दरों के अनुरूप टैक्सी किराया कुलपति की स्वीकृति पर अनुमन्य किए जाने का प्रस्ताव/उक्त हेतु टैक्सी की वास्तविक रसीद प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।	**प्रस्ताव पर वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।**
	विश्वविद्यालय में शोध कार्यों हेतु एवं अन्य महत्वपूर्ण बैठकों एवं विभिन्न कार्यो हेतु बाहर से आने वाले विषय विशेषज्ञों (प्रोफेसर स्तर) को आस–पास के होटलों में उपलब्धता के आधार पर ठहरने आदि की व्यवस्था विश्वविद्यालय द्वारा की जाती है। इस प्रयोजन हेतु अधिकतम रू0 5000/– प्रतिदिन की सीमा निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनर्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।	विश्वविद्यालय में शोध कार्यो हेतु एवं समय–समय पर अन्य महत्वपूर्ण बैठकों एवं विभिन्न कार्यो हेतु बाहर से आने वाले विषय –विशेषज्ञों (प्रोफेसर स्तर) को आस–पास के होटलों में उपलब्धता के आधार पर ठहरने आदि की व्यवस्था विश्वविद्यालय द्वारा की जाती है। इस प्रयोजन हेतु अधिकतम रू0 5000/– प्रतिदिन की सीमा निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनर्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।	**प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत विशेष परिस्थति में अधिकतम रू0 5000/– (टैक्स अतिरिक्त) प्रतिदिन सीमा अन्तर्गत व्यय किये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**
बिन्दु संख्या 08	विश्वविद्यालय एम0टैक पाठ्यक्रम में छात्र वृद्धि हेतु निर्धारित शिक्षण शुल्क को रू0 45000/– प्रति सेमेस्टर के स्थान पर पूर्व की भांति रू0 35000/– प्रति सेमेस्टर किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	ऐसा प्रतीत होता है कि यू0टी0यू0 एम0टैक पाठक्रम की शिक्षण शुल्क अधिक होने के कारण प्रवेश संख्या प्रभावित हो रही है। अतः शिक्षण शुल्क को पूर्व की भांति रू0 35000 प्रति सेमेस्टर की दर से शैक्षिक सत्र 2022–24 से लागू किया जाना प्रस्तावित है ताकि प्रवेश संख्या में सुधार किया जा सके।	**इस प्रस्ताव पर राज्य के अन्य सभी राजकीय/निजी संस्थाओं में वर्तमान में लागू शिक्षण शुल्क के आधार पर शैक्षिक सत्र 2022–23 हेतु एक वर्ष की अवधि तक शिक्षण शुल्क रू0 35000/– प्रति सेमेस्टर किये जाने के प्रस्ताव अनुमोदन प्रदान किया गया ।** **साथ ही आगामी वित्त समिति से पूर्व इस पाठ्यक्रम की प्रवेश संख्या को देखते हुये शिक्षण शुल्क की पुनः समीक्षा किये जाने हेतु भी निर्देशित किया गया।**
बिन्दु संख्या 09	शैक्षिक सत्र 2022–23 से विश्वविद्याल होने वाले एम0बी0ए0 (पूर्णकालिक) एवं एम0बी0ए0 (अंशकालिक) पाठ्यक्रम	विगत वर्षो से विश्वविद्यालय की घटती आय में सुधार हेतु विश्वविद्यालय	**वित्त सिमिति द्वारा विस्तृत चर्चा उपरांत विश्वविद्यालय एम0बी0ए0 / (अंशकालिक) पाठ्यक्रम के सफल**

	संचालित किया जाना प्रस्तावित है । इस कोर्स के सफल संचालन हेतु निम्न धनराशि के व्यय एवं उक्त कोर्स हेतु शिक्षण शुल्क निर्धारण का प्रस्ताव निम्नानुसार प्रस्तुत है :– **आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय अन्तर्गत कुल धनराशि रू0 44.54 लाख व्यय किये जाना।** **एम0बी0ए0 (पूर्णकालिक) एवं एम0बी0ए0 (अंशकालिक) हेतु शिक्षण शुल्क रू0 50000/– प्रतिवर्ष की दर से लागू किया जाना।** अतः प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	परिसर में Faculty of Management अन्तर्गत एम0बी0ए0 पूर्णकालिक (प्रवेश क्षमता 120) एवं अंशकालिक (प्रवेश क्षमता 30) शैक्षिक सत्र 2022–23 से पाठ्यक्रम संचालित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त कोर्स संचालन हेतु ए0आई0सी0टी0ई0 से अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। उक्त पाठ्यक्रम के सफल संचालन हेतु संविदा पर 06 शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टॉफ नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है। **साथ ही परिसर की साज–सज्जा रू0 2.00 लाख/विद्युत सुधारीकरण रू0 2.00 लाख /कम्प्यूटर क्रय रू0 2.00 लाख/फोटोकॉपी मशीन रू0 3.00 लाख/फर्नीचर क्रय रू0 5.00 लाख /जनरेटर क्रय रू0 2.50 लाख/स्मार्ट क्लास बोर्ड रू0 5.00 लाख/पुस्तकें क्रय रू0 1.00 लाख सहित व्यय अनुमानित किया जाना प्रस्तावित है।** **अतः उक्त प्रयोजन हेतु आवर्तक व्यय एवं अनावर्तक व्यय अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु रू0 44.54 लाख का व्यय वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत ।** साथ ही एम0बी0ए0 पाठ्यक्रम के शिक्षण शुल्क निर्धारण हेतु उत्तराखण्ड राज्य के अन्य राजकीय संस्थानों/विश्वविद्यालयों/निजी विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों में वर्तमान में लागू शिक्षण शुल्क ढाँचे का सर्वेक्षण करते हुये विश्वविद्यालय एम0बी0ए0 पाठ्यक्रम हेतु रू0 50000/– प्रतिवर्ष की दर से शिक्षण शुल्क निर्धारण किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ	**संचालन हेतु अनुमानित आय–व्यय पर प्रस्तावनुसार अनुमोदन प्रदान किया गया।** **साथ ही उक्त पाठ्यक्रम हेतु प्रस्तावित शिक्षण शुल्क रू0 50000/– प्रतिवर्ष लागू किये जाने हेतु भी अनुमोदन प्रदान किया गया।**

		प्रस्तुत किया जा रहा है।	
बिन्दु संख्या 10	बौन इंजीनियरिंग संस्थान, उत्तरकाशी हेतु निर्मित भवन को विश्वविद्यालय कैम्पस संस्थान के रूप में संचालित किया जाना प्रस्तावित है जिसके अन्तर्गत चालू शैक्षिक सत्र 2022–23 से बी0टैक पाठ्यक्रम की दो ब्रान्चें सचांलित की जानी प्रस्तावित है। कैम्पस संस्थान हेतु संविदा पर नियुक्त शैक्षणिक स्टॉफ एवं आउटसोर्स के माध्यम से तृतीय श्रैणी एवं चतुर्थ श्रैणी कार्मिकों के वेतन भत्ते मद अन्तर्गत **रू0 53.00 लाख** एवं संस्थान को संचालित किये जाने हेतु फर्नीचर/बिजली/पानी/व्यवस्था/इन्टरनेट/साज–सज्जा/जनरेटर/वैबसाईट/विज्ञापन आदि हेतु **रू0 3.00 करोड़** का व्यय वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।	**शैक्षणिक /गैर शैक्षणिक स्टॉफ का विवरण** 4 Asso. Prof. Rs. 50000 X 4 X 12 = 2400000 4 Asstt. Prof. Rs. 35000 X 4 X 12= 1680000 1 Class – IIIrd Employee Rs. 16132 X 1 X 12= 193584 2 Class 4th Employee Rs. 12762 X 2 X 12= 306288 4 Security Guard Rs. Rs. 14590 X 4 X 12= 700320 **Total Amount 52,80,192 Per year** तथा अन्य व्यय सम्मिलित करते हुये वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु **रू0 3.00 करोड़** का प्रस्ताव है।	इस प्रस्ताव पर कुलसचिव द्वारा इंजीनियरिंग संस्थान हेतु निर्मित भवन की स्थिति से वित्त समिति को अवगत कराया गया। संस्थान को कैम्पस संस्थान के रूप मे संचालित किये जाने हेतु शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक स्टॉफ नियुक्ति हेतु वित्त समिति द्वारा निम्न अनुमोदन प्रदान किया गया :– 01. प्रस्तावित किये गये 04 एसोसियेट्स प्रोफेसर अथवा इनके उपलब्ध न होने की दशा मे इनके स्थान पर सहायक प्रोफेसर नियुक्त किये जाय। 02. 04 सहायक प्रोफेसर अनुमोदित। 03. एक तृतीय श्रैणी कार्मिक के स्थान पर संस्थान के सुचारू संचांलन हेतु न्यूनतम आवश्यकता के दृष्टिगत प्रथम चरण में 04 तृतीय श्रैणी एव 02 चतुर्थ श्रैणी तथा 04 सुरक्षा गार्ड नियुक्त किये जायें। उक्त सभी कार्मिक आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्त किये जाने हेतु वित्त समिति द्वारा निर्देशित किया गया। साथ ही प्रस्तावित व्यय का अनुमोदन प्रदान करते हुये अपेक्षा की गई कि संस्थान हेतु क्रय की जाने वाली समस्त सामग्री उच्च श्रेणी की हो एवं इन समस्त सामग्रियों के क्रय हेतु सभी वित्तीय नियमों का शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
बिन्दु संख्या 11	**विश्वविद्यालय उपनल कार्मिकों के सम्बन्ध में प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत :–** मार्च 10,2022 को सम्पन्न हुयी बैठक/समिति द्वारा 24 कार्मिकों हेतु प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान माह मार्च, 2022 से लागू किये जाने हेतु संस्तुति प्रदान की गयी है। अतः उक्त कार्मिकों को प्रोत्साहन भत्ता अनुमन्य किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के	वित्त समिति की 18वीं बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में विश्वविद्यालय स्तर पर एक समिति गठित की गई थी। समिति द्वारा उपनल के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियें हेतु सैनिक कल्याण विभाग,उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों का पालन करते	प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा उपरांत 18वीं वित्त समिति के निर्णय के क्रम में विश्वविद्यालय स्तर पर गठित समिति की संस्तुति के आधार पर विश्वविद्यालय में उपनल के माध्यम से कार्यरत 24 कार्मिकों को भी राज्य के अन्य उपनल

	अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	हुये प्रोत्साहन भत्ता के लाभ से वंचित 24 कार्मिकों के प्रोत्साहन भत्ता भुगतान को माह मार्च, 2022 से लागू किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी । मा0 कुलपति महोदय द्वारा आगामी वित्त समिति से प्रस्ताव पर अनुमोदन लिये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	**कार्मिकों की भांति शासनादेश संख्या 1386 दिनांक 21.10.2021 द्वारा स्वीकृत प्रोत्साहन भत्ता माह मार्च, 2022 से अनुमन्य किये जाने के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।**
	उक्त के आलावा शेष अन्य 27 कार्मिकों को पदानुसार वेतन में हो रहे अन्तर की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	उक्त प्रोत्साहन धनराशि के भुगतान उपरांत अन्य 27 कर्मचारियों के वेतन में कोई अंतर आता है,तो वेतन की एकरूपता बनाये रखे जाने हेतु सम्बन्धित 27 कार्मिकों को पदानुसार वेतन में हो रहे अन्तर की प्रतिपूर्ति विश्वविद्यालय द्वारा अलग से विशेष भत्ता जारी कर की जायेगी।	**साथ ही विश्वविद्यालय स्तर पर गठित समिति की संस्तुति अनुसार उक्त प्रोत्साहन भत्ता स्वीकृति उपरांत कार्मिकों के मानदेय में एकरूपता बनाये रखने हेतु शेष 27 कार्मिकों के वेतन में आ रही अंतर की धनराशि की प्रतिपूर्ति भी विश्वविद्यालय द्वारा की जायेगी। तद्नुसार उन्हें दिये जाने वाले मानदेय में संशोधन किया जायेगा।**
बिन्दु संख्या 12	इंजीनियरिंग कॉलेज उत्तरकाशी के निर्मित भवनों को विश्वविद्यालय के कैम्पस संस्थान चालू शैक्षिक सत्र से संचालित किये जाने हेतु उक्त भवन के अनुरक्षण कार्यो हेतु कार्यदायी संस्था गठित आगणंन रू0 23.10 लाख का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	विश्वविद्यालय द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज, उत्तरकाशी के निर्मित भवनों को विश्वविद्यालय के कैम्पस संस्थान के रूप में संचालित किये जाने से पूर्व मा0 कुलपति महोदय, कुलसचिव, वित्त नियंत्रक द्वारा कार्यदायी संस्था के परियोजना प्रबन्धक के साथ दिनांक 05.08.2022 को निर्मित भवनों का मौके पर निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के उपरांत मा0 कुलपति महोदय द्वारा भवनों के अनुरक्षण हेतु पृथक आगणंन तैयार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 688 / 58 / परि0प्रबन्धक / रानिन / 2022 दिनांक 16.08.2022 के माध्यम से दो प्रतियों में रू0 23.10 लाख का आगणंन उपलब्ध कराया गया है। **अतः उक्त संस्थान को**	**सर्वप्रथम कुलसचिव द्वारा बौन इंजीनियरिंग संस्थान हेतु निर्मित दो ब्लॉक के फोटोग्राफ्स वित्त समिति को अवलोकित कराये गये । वित्त समिति द्वारा उक्त संस्थान में अनुरक्षण कार्य हेतु गठित आगणंन रू0 23.10 लाख के व्यय पर इस शर्त के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि सर्वप्रथम कार्यदायी संस्था उक्त धनराशि से निर्मित दोनों ब्लॉक के सभी अनुरक्षण कार्य शत–प्रतिशत पूर्ण करेगी व दोनों ब्लॉक विश्वविद्यालय को हस्तगत करेगी।**

		कैम्पस संस्थान के रूप में संचालन हेतु एवं छात्र हित में निर्मित भवन की सभी व्यवस्थाओं को सुचारू किये जाने हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा गठित आगणंन रू0 23.10 लाख व्यय किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।	
बिन्दु संख्या 13	विश्वविद्यालय में Faculty of Technology (FOT) अन्तर्गत 05 ब्रान्चों में संचालित एम0टैक पाठ्यक्रमों में विगत वर्षो से घटती प्रवेश संख्या के कारण सम्बन्धित बैंक खाते में माह जुलाई, 2022 के वेतन हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के कारण माह जुलाई, 2022 से आगामी 03 माह के वेतन भुगतान यू0टी0यू0 परीक्षा खाते से किए जाने पर कार्योत्तर स्वीकृति के साथ ही यह व्यवस्था दिनांक 31.03.2023 लागू किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	एम0टैक विभागाध्यक्ष अवगत कराया गया है कि स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत अर्जित आय को बढ़ाए जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत विभाग प्रयासरत है। एम0टैक पाठ्यक्रमों में विगत वर्षो से घटती प्रवेश संख्या के कारण सम्बन्धित बैंक खाते में माह जुलाई, 2022 के वेतन हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के कारण माह जुलाई, 2022 से आगामी 03 माह के वेतन भुगतान पर कार्योत्तर स्वीकृति के साथ ही यह व्यवस्था दिनांक 31.03.2023 तक लागू किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	**प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत माह मार्च, 2023 तक परीक्षा खाते से एम0टैक स्टॉफ के वेतन भुगतान हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया । साथ ही वित्त समिति द्वारा कम्प्यूटर साइंस के एम0टैक शिक्षकों में से एक को सिस्टम मैनेजर के दायित्व तथा एक को कम्प्यूटर प्रोग्रामर के दायित्व निर्वाहन कराने एवं शेष शिक्षकों को विश्वविद्यालय की अन्य आवश्यक कार्यो में लगाकर आवश्यकता की पूर्ति कराये जाने तथा मार्च, 2023 उपरांत इस स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम के संचालन हेतु समीक्षा किये जाने अनुमोदन प्रदान किया गया।**
बिन्दु संख्या 14	18वीं0 वित्त समिति से प्राप्त स्वीकृति के क्रम में श्री मुकेश कुमार, स्टोर कीपर को 28 नवम्बर, 2018 द्वारा पदों के पुर्नगठित ढाँचे में स्वीकृत वेतनमान के अनुरूप 5200–20200 ग्रेड वेतन 2400 (वर्तमान में वेतन मैट्रिक्स के लेवल–4) लागू किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	विश्वविद्यालय वित्त समिति की 18वीं बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार श्री मुकश कुमार ,स्टोर कीपर के वेतन सम्बन्धी प्रकरण पर दिनांक 12.04.2022 को एक बैठक आयोजित की गयी जिसमें समिति द्वारा श्री मुकेश कुमार स्टोर कीपर को शासनादेश संख्या 883/XLI-1/18-39/2005 दिनांक 28.11. 2018 द्वारा पदों के पुर्नगठित ढ़ाँचें मे स्वीकृत वेतनमान के अनुरूप वेतनमान अनुरूप 5200–20200 ग्रेड वेतन 2400 (वर्तमान में वेतन मैट्रिक्स के	**वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**

		लेवल–4) शासनादेश निर्गत किये जाने की तिथि से दिये जाने की संस्तुति की गयी है। तत्कालीन कुलपति महोदय द्वारा पत्रावली में निर्देश दिये गये हैं कि सम्बन्धी प्रकरण को वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाए। उक्त प्रकरण वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	
बिन्दु संख्या 15	पूर्व वित्त समिति द्वारा अनुमोदित उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन शुल्क रू0 2000/– के स्थान पर रू0 3000/– (Non Refundable) किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	विश्वविद्यालय द्वारा आगामी सेमेस्टर परीक्षाओं की समस्त उत्तर पुस्तिकाओं की डिजीटल कॉपी तैयार की जायेगी ताकि सभी छात्र–छात्रायें जब चाहें अपनी उत्तर पुस्तिका को देख सकते हैं। यदि सम्बन्धित छात्र उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन से संतुष्ट न हो तो वह रू0 3000 शुल्क जमा कर अपनी उत्तर पुस्तिका की दौबारा जाँच करा सकता है	**वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**
बिन्दु संख्या 16	विश्वविद्यालय कार्य हित में विभिन्न टीनशेड निर्माण कराये जाने के प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत :– **कुलपति के वाहन हेतु – रू0 1.50 लाख।** **सीज फायर मोटर हेतु – रू0 1.00 लाख।** **प्रशा0 भवन के जनरेटर रू0 1.50 लाख।** **कुलपति आवास जनरेटर – रू0 1.00 लाख** **<u>कुल अनुमानित लागत – रू0 5.00 लाख।</u>**	मा0 कुलपति महोदय को आवंटित वाहन की वर्षा व धूप इत्यादि से वाहन को सुरक्षित रखने हेतु रू0 01. 50 लाख लागत से टीनशेड का निर्माण ,विश्वविद्यालय में स्थापित सीज फायर के मोटर इत्यादि को वर्षा व धूप आदि से सुरक्षा के दृष्टिगत रू0 1.00 लाख की लागत से टीनशेड का निर्माण,। विश्वविद्यालय कार्यालय में स्थापित जेनरेटर को वर्षा व धूप आदि से सुरक्षा के दृष्टिगत् टीनशेड का निर्माण , अनुमानित लागत रू0 1.50 लाख। मा0 कुलपति आवास में स्थापित जेनरेटर को वर्षा व धूप आदि से सुरक्षा के दृष्टिगत् टीनशेड का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है अनुमानित लागत रू0 1.00 लाख।	**वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय की आय के सीमा अन्तर्गत एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुऐ एवं मितव्ययता का ध्यान रखते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**
बिन्दु संख्या 17	विश्वविद्यालय की उच्च तल पर स्थित घड़ी की चाभी भरने हेतु सीढ़ी का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है ताकि घड़ी सुचारू रूप से लगातार चलती रहें। इस प्रयोजन हेतु लगभग **रू0 2.00 लाख** का व्यय होना	विश्वविद्यालय भवन के ऊपर लगे चारों दिशाओं की घड़ियों में चाबी भरने हेतु सुरक्षित रास्ता न होने के कारण ऊपर तक पहुचने के लिए सीढ़ियों का निर्माण कार्य कराया	**वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय की आय के सीमा अन्तर्गत एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुऐ एवं मितव्ययता का ध्यान रखते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**

	अनुमानित है। अतः प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	जाना प्रस्तावित है।	
बिन्दु संख्या 18	विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से सम्बन्धित भवन के दोनों फ्लोर की गैलरी में एक–एक एल0ई0डी0 स्क्रीन लगाये जाना प्रस्तावित है जिस पर लगभग **रू0 2.00 लाख** का व्यय का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	विश्वविद्यालय से सम्बन्धित सूचनाओं/गतिविधियों को प्रदर्शित करने हेतु कार्यालय के गैलरी के दोनो फ्लोर में एक एल0ई0डी0 स्क्रीन लगाया जाना प्रस्तावित है जिस हेतु रू0 2.00 लाख का व्यय अनुमानित किया जा रहा है।	**वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय की आय के सीमा अन्तर्गत एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुऐ एवं मितव्ययता का ध्यान रखते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**
बिन्दु संख्या 19	मा0 कुलपति कार्यालय के बाहर कैन्टीन हेतु पेन्ट्री का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है जिस पर अनुमानित **रू0 1.00 लाख** व्यय किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।	मा0 कुलपति कार्यालय में बाहर से आये हुए आगन्तुकों/अतिथियों के लिए चाय पानी की व्यवस्था हेतु एक पेन्ट्री की व्यवस्था कराया जाना प्रस्तावित है। व्यय रू0 1.00 लाख।	**वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय की आय के सीमा अन्तर्गत एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुऐ एवं मितव्ययता का ध्यान रखते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**
बिन्दु संख्या 20	मा0 कुलपति कार्यालय में र्प्याप्त स्थान व कार्यालय को सुव्यवस्थित कराने के दृष्टिगत पार्टीशन का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है जिस पर अनुमानित **रू0 4.00 लाख** का व्यय सम्भावित है। प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	मा0 कुलपति कार्यालय को सुव्यवस्थित करने हेतु पार्टीसन का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है जिस पर लगभग रू0 4.00 लाख का व्यय अनुमानित किया जा रहा है।	**वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय की आय के सीमा अन्तर्गत एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुऐ एवं मितव्ययता का ध्यान रखते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**
बिन्दु संख्या 21	विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने हेतु विश्वविद्यालय के आमंत्रित गणमान्य व्यक्तियों/सदस्यों को कार्यालय में लाने व कार्यालय से वापस ले जाने हेतु एक इनोवा वाहन क्रय किया जाना प्रस्तावित है जिस पर लगभग रू0 25.00 लाख का व्यय अनुमानित है। प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने हेतु विश्वविद्यालय के आमंत्रित गणमान्य व्यक्तियों/सदस्यों को कार्यालय में लाने व कार्यालय से वापस ले जाने हेतु एक इनोवा वाहन लागत रू0 25. 00 लाख क्रय किया जाना प्रस्तावित है।	**प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा उपरांत मा0 कुलपति महोदय हेतु एक नया इनोवा वाहन जैम पोर्टल के माध्यम से क्रय किये जाने हेतु तथा मा0 कुलपति महोदय के पुराने वाहन को आवश्यकतानुसार पूल वाहन के रूप में प्रयोग किये जाने हेतु वित्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।**
बिन्दु संख्या 22	विश्वविद्यालय रिकार्ड रूम एवं स्टोर के लिये पत्रावलियों को संरक्षित करने हेतु रैक क्रय किये जाने प्रस्तावित है जिन पर अनुमानित **रू0 07.00 लाख** का व्यय अनुमानित है। प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	रिकार्ड /स्टोर को संरक्षित करने के लिए रैक क्रय किया जाना प्रस्तावित है।	**वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय की आय के सीमा अन्तर्गत एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुऐ एवं मितव्ययता का ध्यान रखते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**
बिन्दु संख्या 23	विश्वविद्यालय कार्यालय/परीक्षा सम्बन्धी कार्यो की गोपनीयता बनाये रखने हेतु एवं सामग्री सुरक्षित रखे जाने हेतु स्ट्रांग रूम/ गोपेनीय कक्ष का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है जिस पर **रू0 3.00 लाख** का व्यय अनुमानित है। प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	विश्वविद्यालय कार्यालय/परीक्षा सम्बन्धी कार्यो की गोपनीयता बनाये रखने हेतु एवं सामग्री सुरक्षित रखे जाने हेतु स्ट्रांग रूम/ गोपनीय कक्ष का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है	**वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय की आय के सीमा अन्तर्गत एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुऐ एवं मितव्ययता का ध्यान रखते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**
बिन्दु संख्या 24	विश्वविद्यालय आडीटोरियम में स्थापित स्क्रीन के सफल संचालन हेतु एक यू0पी0एस0 40 के0वी0ए0, एक वीडियों स्पीलटर 8 पोर्ट, एच0डी0एम0आई0 लैन एक्सटेन्डर 4 सेट व आडियों केबल 200	आडीटोरियम में स्थापित स्क्रीन के सफल संचालन हेतु एक यू0पी0एस0 40 के0वी0ए0, एक वीडियों स्पीलटर 8 पोर्ट, एच0डी0एम0आई0 लैन एक्सटेन्डर 4 सेट व आडियों केबल	वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय की आय के सीमा अन्तर्गत एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुऐ एवं मितव्ययता का ध्यान रखते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन

-	मीटर आदि का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है जिस पर **रू0 10.00 लाख** का व्यय अनुमानित है। प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	200 मीटर आदि का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। इस कार्य हेतु रू0 10.00 लाख का व्यय अनुमानित किया जा रहा है।	प्रदान किया गया।
बिन्दु संख्या 25	मा0 कुलपति कार्यालय के संचालन हेतु लगभग 10 के0वी0ए0 के यू0पी0एस0 सिस्टम को लगवाया जाना प्रस्तावित है जिस पर लगभग **रू0 2.25 लाख** का व्यय अनुमानित किया जा रहा है। प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	मा0 कुलपति कार्यालय में लगभग 10 के0वी0ए0 के यू0पी0एस0 सिस्टम को सफल संचालन कार्य हेतु लगवाया जाना प्रस्तावित है।	**वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय की आय के सीमा अन्तर्गत एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुऐ एवं मितव्ययता का ध्यान रखते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**
बिन्दु संख्या 26	विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन में एक आधुनिक तकनीक की लिफ्ट संयोजन एवं स्थापना का कार्य अनुमानित लागत **रू0 10.00 लाख** का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।	विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन मे पूर्व से एक लिफ्ट स्थापित है जो कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा 2013 में लगाई गयी थी किन्तु यह लिफ्ट वर्तमान में क्रियाशील अवस्था में नहीं है अनेक बार कार्यदायी संस्था से इसकी मरम्मत करायी जा चुकी है। प्रशासनिक भवन में उक्त के अतिरिक्त 02 लिफ्ट स्थापना हेतु स्थान उपलब्ध है। अतः वर्तमान आवश्यकता के दृष्टिगत एक आधुनिक तकनीक की लिफ्ट स्थापित करायी जानी है जिस पर अनुमानित **रू0 10.00 लाख** का व्यय सभी वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना प्रस्तावित है।	**वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय की आय के सीमा अन्तर्गत एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुऐ एवं मितव्ययता का ध्यान रखते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**
बिन्दु संख्या 27	विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन में अन्य सुक्ष्म अनुरक्षण कार्य बाहरी रंगाई / पुताई एवं छत मरम्मत हेतु रू0 10.00 लाख व्यय चालू वित्तीय वर्ष में किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	विगत वर्षो से प्रयोग उपरांत प्रशासनिक भवन की कहीं–कही से टाईल्स आदि उखड़ गयी है व बाहरी पुताई भी खराब हो व अन्य कई छोटी–बड़ी मरम्मत की आवश्यकता हैं । अतः उक्त कार्य कराये जाने हेतु लगभग रू0 10.00 लाख व्यय होने की सम्भावना है।	**वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय की आय के सीमा अन्तर्गत एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुऐ एवं मितव्ययता का ध्यान रखते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**
बिन्दु संख्या 28	विश्वविद्यालय में टिनशेड का निर्माण कर फर्नीचर सहित केन्टीन का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। ताकि विश्वविद्यालय कर्मचारियें / विश्वविद्यालय में विभिन्न स्थानों से आने वाले छात्र–छात्रों / अभिभावकों को जल–पान / भोजन आदि की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत केन्टीन निर्माण पर रू0 5.00 लाख का व्यय वित्त समिति के	विश्वविद्यालय कर्मचारियें / विश्वविद्यालय में विभिन्न स्थानों से आने वाले छात्र–छात्रों / अभिभावकों को जल–पान / भोजन आदि की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत केन्टीन निर्माण पर रू0 5.00 लाख व्यय वित्त समिति के	**वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय की आय के सीमा अन्तर्गत एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुऐ एवं मितव्ययता का ध्यान रखते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**

	अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	
बिन्दु संख्या 29	विश्वविद्यालय की सुरक्षा के दृष्टिगत निर्मित चाहरदीवारी की ऊंचाई बढ़ाई जाने के प्रस्ताव पर रू0 5.00 लाख का व्यय वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	बाहरी लोगों से सुरक्षा के दृष्टिगत चाहरदीवारी की ऊंचाई बढ़ाई जानी प्रस्तावित है।	**वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय की आय के सीमा अन्तर्गत एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुऐ एवं मितव्ययता का ध्यान रखते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**
बिन्दु संख्या 30	विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के सामनें कार्यदायी संस्था द्वारा बनाये गये परियोजना प्रबन्धक कार्यालय का अनुरक्षण कर उसको विश्वविद्यालय अतिथि गृह के रूप में स्थापित किये जाने हेतु निर्मित भवन पर साज–सज्जा/फर्नीचर क्रय हेतु **रू0 5.00 लाख** व्यय किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	दिन–प्रतिदिन विश्वविद्यालय की विभिन्न बैठकों/कार्यशाला/पी0एच0डी0 /मौखिक परीक्षा/मूल्यांकन हेतु आने वाले विशेषज्ञों की सुविधा हेतु अतिथि गृह निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।	**वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय की आय के सीमा अन्तर्गत एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुऐ एवं मितव्ययता का ध्यान रखते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**
बिन्दु संख्या 31	वीर माधों सिंह भण्डारी जी की मूर्ति स्थापना व आई0आई0टी0/ एन0आई0टी0/आई0आई0एम0 में चयनित राज्य के छात्रों को पुरूस्कार वितरण का कार्यक्रम आयोजन हेतु **रू0 5.00 लाख** व्यय किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	वीर माधों सिंह भण्डारी जी की मूर्ति स्थापना व आई0आई0टी0/एन0आई0टी0/आई0आई0एम0 में चयनित राज्य के छात्रों को पुरूस्कार वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।	**वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय की आय के सीमा अन्तर्गत एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुऐ एवं मितव्ययता का ध्यान रखते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**
बिन्दु संख्या 32	सांस्कृतिक कार्यक्रमों/यूथ फैस्ट/फूड फैस्ट /रोजगार मेला आयोजन हेतु **रू0 15.00 लाख** व्यय किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।।	समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों से लिये जाने वाले विकास शुल्क से सांस्कृतिक कार्यक्रमों/यूथ फैस्ट/फूड फैस्ट /रोजगार मेला /आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।	**वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय की आय के सीमा अन्तर्गत एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुऐ एवं मितव्ययता का ध्यान रखते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**
बिन्दु संख्या 33	विश्वविद्यालय के सुचारू सम्पादन हेतु दैनिक मजदूरी/संविदा पर 05 डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर, मानदेय रू0 10000, 01 कम्प्यूटर प्रोग्रामर, 01 सिस्टम मैनेजर मानदेय रू0 35000 पर नियुक्त किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यो हेतु हेतु दैनिक मजदूरी/संविदा पर 05 डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर, मानदेय रू0 10000, 01 कम्प्यूटर प्रोग्रामर, 01 सिस्टम मैनेजर मानदेय रू0 35000 पर नियुक्त किये जाने प्रस्तावित है।	**वित्त समिति द्वारा दैनिक मजदूरी के आधार पर 05 डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर/टाईपिस्ट की सेवाएं लिए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया किन्तु कम्प्यूटर प्रोग्रामर तथा सिस्टम मैनेजर के पद पर विश्वविद्यालय एम0टैक पाठ्यक्रम में कार्यरत्त फैकल्टी को उक्त कार्य सम्पादित कराये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया जिसकी भविष्य में समीक्षा की जायेगी।**
बिन्दु संख्या 34	विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यो को ऑन–लाईन करने हेतु ई0आर0पी0 यूनिवर्सिटी मैनेजमैंट सिस्टम निर्माण पर **रू0 02.00 करोड़** की लागत का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	विश्वविद्यालय के समस्त कार्य–कलापों को डिजीटल एवं ऑनलाईन किये जाने हेतु ई0आर0पी0 सिस्टम लागू किया जाना प्रस्तावित है।	**वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**
बिन्दु संख्या 35	विश्वविद्यालय ई–पुस्तकालय की स्थापना का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत जिस पर **रू0 20.00 लाख** का व्यय अनुमानित है।	विश्वविद्यालय द्वारा ई–पुस्तकालय की स्थापना से 91 सम्बद्ध संस्थान तथा यहां अध्ययनरत लगभग	**वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**

		27000 छात्र / छात्रायें व शिक्षक लाभान्वित होंगें ।	
बिन्दु संख्या 36	विश्वविद्यालय में Incubation Centre-UTU Incubation Hub की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत जिस पर **रू0 25.00 लाख** का व्यय अनुमानित किया जा रहा है।	Incubation Centre-UTU Incubation Hub की स्थापना के अन्तर्गत ईनोवेशन / Entreprenesurship गतिविधियों को बढ़ाव देने, विश्वविद्यालय में स्थापित जनरल विपिन रावत डिफेन्स टैक्नोलॉजी इक्नुबेसन सेन्टर, प्रस्तावित अटल इक्नुबेसन सेन्टर, आदि को समाहित कर छात्र / छात्राओं / फैकल्टी, कोई अन्य इनोवेटिव आईडिया को मूर्त रूप देने, आत्म निर्भर उत्तराखण्ड तथा मा0 प्रधानमंत्री जी की आत्म निर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने हेतु **रू0 25.00 लाख** व्यय किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।	**वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**
बिन्दु संख्या 37	विश्वविद्यालय एम0टैक / एम0फार्मा0 के साथ–साथ Nehru Institute of Mountaineering (NIM Uttarakashi) एवं Army Desing Bereau के साथ विभिन्न कोर्स संचालित किये जाने प्रस्तावित है । इस प्रयोजन हेतु 02 उच्च तकनीकी की स्मार्ट क्लॉस निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है जिस पर रू0 20.00 लाख व्यय होने का अनुमान हैं अतः प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	एम0टैक / एम0फार्मा0 के साथ–साथ Nehru Institute of Mountaineering (NIM Uttarakashi) एवं Army Desing Bereau के साथ विभिन्न कोर्स संचालित किये जाने प्रस्तावित है । इस प्रयोजन हेतु 02 उच्च तकनीकी की स्मार्ट क्लॉस निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है	**वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**
बिन्दु संख्या 38	विश्वविद्यालय द्वारा Association of Indian Universities (AIU) की Annual North Zone VCs Meet 2022-23 आयोजित कराये जाने हेतु **रू0 10.00 लाख** व्यय किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	विश्वविद्यालय द्वारा Association of Indian Universities AIU की Annual North Zone VCs Meet 2022-23 आयोजित किया जाना प्रस्तावित है जिसमें विभिन्न विश्वविद्यालयों के 150 से अधिक कुलपतियों द्वारा प्रतिभाग किया जाना सम्भावित है। यदि विश्वविद्यालय द्वारा उक्त आयोजन कराया जाता है तो तकनीकी विश्वविद्यालय की ख्याति सहित उत्तराखण्ड राज्य	**वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**

		की प्रदेश के बाहर पहचान बनाने का सुअवसर प्राप्त होगा। अतः इस आयोजन हेतु हेतु **रू0 10.00 लाख** व्यय किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	
बिन्दु संख्या 39	विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थानों द्वारा पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता शुल्क जमा किये जाने उपरांत सम्बन्धित पाठ्यक्रम की प्रवेश क्षमता में वृद्धि किराये जाने की दशा में सम्बन्धित संस्थान से प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 से **रू0 1,25,000/–** अतिरिक्त प्रोसेसिंग शुल्क लागू किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।	सम्बद्ध संस्थानों द्वारा प्रत्येक वर्ष की सम्बद्धता विस्तारण हेतु निर्धारित शुल्क जमा किया जाता है किन्तु इस अवधि के दौरान संस्थानों द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों में अतिरिक्ट सीटें/प्रवेश क्षमता में विस्तार कराया जाता है। अतः वित्तीय वर्ष 2022–23 से संस्थानों द्वारा प्रवेश क्षमता बढ़ाये जाने पर रू0 125000/– प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में लागू किया जाना प्रस्तावित है।	**वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**
बिन्दु संख्या 40	समय–समय पर आयोजित होने वाली बी0ओ0एस0 (Board of Studies)/सेमिनार/अन्य कार्य हेतु आमंत्रित विषय–विशेषज्ञों के सदस्यों को 2000/– के स्थान पर रू0 5000/– प्रतिदिन की दर से मानदेय स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद/विद्या परिषद/वित्त समिति के सदस्यों हेतु रू0 5000/– का मानदेय स्वीकृत है। अतः इसी आधार पर बी0ओ0एस0 (Board of Studies)/सेमिनार/अन्य कार्य हेतु आमंत्रित विषय–विशेषज्ञों के सदस्यों को 2000/– के स्थान पर रू0 5000/– प्रतिदिन की दर से मानदेय स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	**वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**
बिन्दु संख्या 41	यू0के0एस0ई0ई0–2022 एवं जैई–मैन (बी0टैक प्रथम वर्ष) –2022 काउसंलिगं के सफल संचालन हेतु नियुक्त सहायक नोडल अधिकारी को काउसंलिंग की सम्पूर्ण अवधी हेतु **रू0 10,000/–** मानदेय स्वीकृति का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।	यू0के0एस0ई0ई0 एवं जैई–मैन की काउसंलिंग के सफल संचालन/आयोजन हेतु विश्वविद्यालय की ओर से नामित सहा0नोडल अधिकारी को काउंसलिंग के सफल संचालन एवं इस सम्बन्धी समस्त कार्य की देख–रेख हेतु सम्पूर्ण अवधी के लिये मानदेय के रूप में रू0 10000/– की धनराशि स्वीकृत किये जाने का	**वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**

		प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।	
बिन्दु संख्या 42	विद्या परिषद के माननीय सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय में एक एल्यूमिनी सेल के गठन एवं सम्बन्ध में प्रस्तुत UTU Alumuni Association Regulation पर अनुमोदन का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	विश्वविद्यालय से उर्त्तीण छात्र/छात्राओं के कार्यअनुभव कों संचित करते हुऐ नई आवश्यकता के क्रम में पठन–पाठन को सुदृढ़ करने हेतु UTU Alumuni Association Regulation का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	**वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**
बिन्दु संख्या 43	विद्या परिषद के माननीय सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय में Accreditation Cell के गठन का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	ए0आई0सी0टी0ई0 के प्राविधानों के अनुसार पाठ्यक्रमों को 2024 तक NBA Accreditation प्राप्त किया जाना/यू0जी0सी/अन्य नियामक संस्थाओं से अनुदान प्राप्त करने हेतु Accreditation Cell के गठन का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	**वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**
बिन्दु संख्या 44	विश्वविद्यालय द्वारा Online Certificate Programme संचालित करने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध संस्थानों के अध्ययनरत्त छात्र/छात्राओं /शिक्षकों को वर्तमान औद्योगिकी व तकनीकी आवश्यकताओं तथा भविष्य की सम्भावनाओं के दृष्टिगत यह कोर्स स्ववित्तपोषित Online Certificate Programme के संचालन में छात्रो से लिये जाने वाले शुल्क का उपयोग इसमें आने वाले व्यय (विश्वविद्यालय/सम्बद्ध संस्थान स्टडी सेन्टर) की प्रतिपूर्ति हेतु किया जायेगा। प्राप्त शुल्क से कम व्यय की दशा में अवशेष धनराशि विश्वविद्यालय को आय के स्रोत के रूप में विश्वविद्यालय में जमा किया जायेगा।	**वित्त समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**
बिन्दु संख्या 45	विश्वविद्यालय की आय बढ़ायें जाने के दृष्टिगत विभिन्न मदों **(पी0डी0सी0/माईग्रेशन/डिग्री/डुब्ली**	शुल्क वृद्धि हेतु प्रस्तावित मदों का विवरण हेतु प्रस्ताव वित्त	**वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत अनुमोदन प्रदान किया गया** क्रमांक | मद/विवरण | 2022–23 हेतु